न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **10/2016** (आवंटन निरस्ती)

1. श्रीमती परताबाई डांगी पत्नि स्व. श्री भग्गा जी डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)
2. श्री शिवलाल डांगी पिता स्व. श्री भग्गा जी डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)
3. श्री मांगीलाल डांगी पिता स्व. श्री भग्गा जी डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)
4. श्री गोवर्धन लाल डांगी पिता स्व. श्री भग्गा जी डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारू पिता श्री मोती डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)
2. श्रीमती दोलीबाई पत्नि श्री नारू जी डांगी, निवासी डांगीयो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर, (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

....................विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त कराये जाने आवंटन दिनांक 11.06.2002 पत्रावली संख्या 139/2002

उपस्थितिः—	1— श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण 2— श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 3— श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 12.12.2017

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.06.2002 को राजस्व ग्राम डांगीयो का गुड़ा की

हाल आराजी संख्या 4742 रकबा 0.0600 हैक्टर तथा 4745 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था जबकि आराजी संख्या 4742 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण के पिता भग्गा जी का कब्जा 1960 के पूर्व से चला आ रहा हैं। मौके पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जो मवेशियो को बांधने के काम आ रही हैं तथा दक्षिण दिशा में रास्ते की तरफ फाटक लगी हुई हैं। इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। यह भूमि अनाधिवासित नहीं थी। नाही आवंटन हेतु उद्घोषणा सम्यक रूप से जारी किया गया था। आवंटन समिति के चेयरमेन भी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा नहीं होकर आदेश पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। विवादीत भूमि पर कभी काश्त नहीं हुई और नाही काश्त योग्य हैं। इस आधार पर भी भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थी। प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.07.16 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रति लेने जाने पर हुई। जानकारी होने पर नामान्तरकरण संख्या 73 की प्रति तहसील से दिनांक 08.07.16 को ली एवं उसके आधार पर आवंटन आदेश की प्रति दिनांक 14.07.16 को लेने पर हुई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणो के नाम आवंटीत भूमि का आवंटन निरस्त कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 4742 व 4745 की किता 2 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि का आवंटन विपक्षीयो के पक्ष में दिनांक 11.06.02 को किया जाना बताया गया हैं। किया गया आवंटन विधिवत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यो का अंकन किया गया हैं। मौके पर प्रार्थीगणो का कोई कब्जा नहीं हैं। नाही कोई बाउण्ड्रीवाल हैं। नाही कोई मकान बने हुए हैं नाही आवंटीत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा ही हैं। विवादीत भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का पुराना कब्जा होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन की गई हैं। विधिवत आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोरम द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि का आवंटन कर कब्जा दिलवाया गया। कब्जे दिनांक से ही आवंटीत भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 कब्जा काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार हैं। ग्राम पंचायत को आवंटीत भूमि को निलाम करने व पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण को कथित आवंटन की जानकारी शुरू से ही हैं। आवंटन वर्ष 2002 में हुआ है जिसे 15 वर्ष का समय बीत चुका हैं। इतने लम्बे समय बाद आवंटन को निरस्त कराने का कोई कारण नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को कानुनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

चुके हैं। ऐसी स्थिति में भूमि का आवंटन किसी भी परिस्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटीत भूमि में से 0.0300 हैक्टर भूमि पर प्राथीगणो के पिता भग्गा जी का कब्जा सन् 1960 से पूर्व से ही चला आ रहा हैं। मौके पर पक्की बाउण्ड्री बनी हुई होकर मवेशीयो को बांधने के उपयोग में ली जा रही हैं। इस भूमि पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं रहा नाही यह भूमि अनाधिवासित रही हैं। भूमि का आवंटन विपक्षीगणो को विधिवत नहीं हुआ हैं। नाही आवंटन के पूर्व उद्घोषणा पत्र जारी हुआ। मौके पर विपक्षीगणो का कब्जा नहीं है नाही इनके द्वारा कभी कोई काश्त की गई हैं। इनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई हैं। अतः इनका आवंटन निरस्त कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में दिये गये वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थीगणो का कोई कब्जा नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.06.02 को भूमि का आवंटन विधिवत किया गया। आवंटन के पश्चात् जिस दिनांक को कब्जा दिया गया उस दिनांक से विपक्षी संख्या 1 व 2 का नियमित रूप से कब्जा काश्त रहा हैं। वर्तमान में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी विपक्षीगण को प्राप्त हो चुके हैं। आवंटन हुए भी 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किया जाना कानुनन न्यायसंगत नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की पत्रावली संख्या 139/02 भूमि आवंटन का अवलोकन किया गया। भूमि आवंटन हेतु विपक्षी द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी लखावली द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जो पूर्ण कमेटी के सदस्यो द्वारा की गई। आवंटन आदेश के बाद विधिवत तहसीलदार को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर तहसीलदार बड़गॉव द्वारा पटवारी हल्का से विपक्षी संख्या 1 व 2 को कब्जा सिपुर्द करवाकर पालना रिपोर्ट भी उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं। भूमि का आवंटन विधिवत सुसंगत तरीके से किया गया हैं। आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं की गई हैं। आवंटन पश्चात् भूमि का कब्जा भी सिपुर्द किया गया हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षीगणो द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई हैं। विपक्षीगणो द्वारा भूमि का आवंटन धोखे अथवा कपट द्वारा नहीं करवाया गया हैं। ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि आवंटीत भूमि पर कब्जा प्रार्थीगणो का रहा हों।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता हैं एवं विपक्षीगणो के नाम किया गया आवंटन वैध पाये जाने से यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर